फर्द अहकाम

फतूरचन्द बनाम लोकेश वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुरगढ़, जयपुर

केस संख्या 15/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आवश्यक है। वकील श्री पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में निबंधित मूल प्रार्थी पक्ष के अन्तिम विस्तापन तक प्रार्थी पक्ष में पारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09/02/2023 को यथावत जारी रखना आवश्यक है। दिनांक वादोत्तर पश्चात किसी प्रकार से छुट्टी बुद्धि नहीं है। प्रकरण में पारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09/02/2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कायम करना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में पारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09/02/2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक लोकेशन कायम किया जाता है। निर्णय आज ही इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फोलिया 3 में दर्ज है तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।	